तहसील तिवंरी जिला जोधपुर।

—: ब ना म :—

अप्रार्थी :—

1 राजस्थान सरकार जरीये
श्री तहसीलदार साहब, तिवंरी ।

उपस्थित –
प्रार्थी की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट ।
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पेरोकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट.

निर्णय **दिंनाक :—03.02.2021**

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील तिवंरी के ग्राम मथानिया द्वितीय की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 659/8 रकबा 01 बीघा 01 बीस्वा , खसरा नम्बर 667/3 रकबा 02 बीघा 03 बीस्वा , खसरा नम्बर 667/1 रकबा 02 बीघा 06 बीस्वा, खसरा नम्बर 667/2 रकबा 01 बीघा 00 बीस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के पिता बंशीलाल जी के नाम की थी उसके फौत होने पर हल्का पटवारी ने हन्वतराम पुत्र श्री बंशीलाल के स्थान पर हणुताराम पुत्र श्री बंशीलाल नाम खातेदारी मे दर्ज कर दिया जो अशुद्ध है । प्रार्थी को अभी हाल ही मे राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम हन्वतराम के स्थान पर हणुताराम दर्ज है । जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के विकाश कार्य करवाने मे कठीनाई हो रही है इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम हणुताराम दुरूस्त करवा कर हन्वतराम शुद्ध करवाना

Scanned with CamScanner

चाहता है । राजस्व रेकर्ड मे हल्का पटवारी की भूल से प्रार्थी का नाम गलत इन्द्राज हो गया है जिसे प्रार्थी राजस्व रकर्ड दुरूस्त करवा कर शुद्ध करवाने का आधिकारी है । उपरोक्त खसरान की भूमि मे प्रार्थी का नाम गलत दर्ज किया गया है जिसे यदि शुद्ध किया जाता है तो अप्रार्थी या अन्य किसी को कोई नुकसान नही होगा बल्कि राजस्व रेकर्ड शुद्ध होगा। उपरोक्त खसरान की भूमि मे हणुताराम नाम के किसी व्यक्ति या औरत का कब्जा काश्त नही रहा है और न ही हणुताराम पुत्र श्री बंशीलाल जाति माली की नाम का गांव मे कोई निवास करता है । उक्त खसरान की भूमि मे मुझ हन्वतराम का कब्जा काश्त है। प्रार्थी की सकुनत व नाम के लिए मतदाता ,राशन कार्ड , ग्राम पंचायत की तस्दीक, की फोटो प्रतिये प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न पेश की है। अन्त मे प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम मथानिया द्वितीय की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 659/8 रकबा 01 बीघा 01 बीस्वा , खसरा नम्बर 667/3 रकबा 02 बीघा 03 बीस्वा , खसरा नम्बर 667/1 रकबा 02 बीघा 06 बीस्वा, खसरा नम्बर 667/2 रकबा 01 बीघा 00 बीस्वा भूमि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम हणुताराम पुत्र बंशीलाल को दुरूस्त कर उसके स्थान पर हन्वतराम पुत्र बंशीलाल शुद्ध करवाने का निवेदन किया ।

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को नोटिश जारी किया गया । अप्रार्थी की तरफ से सरकारी पैरोकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई । सरकारी पेरोकार ने अप्राथी से रिपोर्ट तलब कर न्यायालय मे पेश की जो सामिल पत्रावली की गई । दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव तहसीलदार तिवंरी की जांच रिपोर्ट मे ग्राम मथानिया द्वितीय की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 659/8 रकबा 01 बीघा 01 बीस्वा , खसरा नम्बर 667/3 रकबा 02 बीघा 03 बीस्वा , खसरा नम्बर 667/1 रकबा 02 बीघा 06 बीस्वा, खसरा नम्बर 667/2 रकबा 01 बीघा 00 बीस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज खातेदार का नाम हणुताराम दर्ज है जिसके स्थान पर हन्वतराम शुद्व किया जाता है तो किसी को कोई आपत्ती नही है । उपरोक्त विवेचन व दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम मथानिया द्वितीय की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 659/8 रकबा 01 बीघा 01 बीस्वा , खसरा नम्बर 667/3 रकबा 02 बीघा 03 बीस्वा , खसरा नम्बर 667/1 रकबा 02 बीघा 06 बीस्वा, खसरा नम्बर 667/2 रकबा 01 बीघा 00 बीस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम हणुताराम

सहायक कमांडर, प्रमाणित

Scanned with CamScanner

को दुरूस्त कर उसके स्थान पर हन्वतराम दर्ज किया जावे । तहसीलदार तिवंरी को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी की जावे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर बाद आवश्यकता दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलेक्टर औसिया

सहायक कलेक्टर, औसियां

निर्णय आज दिंनाक 03.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्ट्रर औसिया

सहायक कलेक्टर, औसियां

Scanned with CamScanner